न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023, कोर्ट केम्प:– ग्राम पंचायत कुड़ला

राजस्व आवेदन संख्या :– 37 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 लक्ष्मणराम 2 विरधाराम 3 लाधूराम 4 पन्नाराम पिसरान मूलाराम जाति कुम्हार निवासी सूरसागर, कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।		1 गंगाराम पुत्र जीयाराम 2 पेमी पत्नी मोहनलाल 3 पुरखाराम पुत्र मंगलाराम 4 लाखाराम पुत्र मंगलाराम के कायम मुकाम 4/1 राणाराम 4/2 देवाराम पिसरान लाखाराम 4/3 मूली पत्नी लाखाराम जाति प्रजापत निवासी आदर्श ढूंढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री प्रेम प्रजापत, वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 20/05/23

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा सुरसागर पटवार मण्डल कुड़ला तहसील बाड़मेर गामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 636/627 रकबा 3.8283 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के सेढा–सेढ अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 734/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के खातेदारी का खसरा संख्या 733/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत मूल खसरा संख्या 627 के ही भाग थे किन्तु प्रार्थीगण के पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को बेचान करने से बेचान अनुसार भूमि अलग–अलग होने से बट्टा नम्बर अंकित किये गये। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेतों के बीच की तरमीम हुई परन्तु लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके के अनुसार नही कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई प्रार्थीगण मौके पर संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' में बरंग पीला के अनुसार कब्जा काश्त है तथा परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा सुरसागर पटवार मण्डल कुड़ला तहसील बाड़मेर गामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 636/627 रकबा 3.8283 हैक्टेयर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 734/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के खातेदारी का खसरा संख्या 733/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मजमे आम में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को आवाजे लगाई गई। प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत कुड़ला मे तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक 302 दिनांक 20.05.2023 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि पटवार क्षैत्र कुड़ला के ग्राम सुरसागर के खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी

636/627, 734/627 व 733/627 की वर्तमान तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" के अनुसार प्रस्तावित है। वर्तमान तरमीम प्रार्थीगण लक्ष्मणराम वगैराह की रहवासी ढाणीयां प्रभावित हो रही है। मौके की कब्जाकाश्त व उसमे स्थित रहवासी ढाणियां के आधार पर संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्ती प्रस्तावित है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर किसी भी खसरे के रकबे में कोई परिवर्तन नही होगा। अतः ग्राम सुरसागर के खसरा संख्या 636/627 रकबा 3.8283 हैक्टेयर, खसरा संख्या 734/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 733/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2074–2077, नक्शा, बेचान पत्र, नामान्तकरण संख्या 117, जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि वर्तमान तरमीम प्रार्थीगण लक्ष्मणराम वगैराह की रहवासी ढाणीयां प्रभावित हो रही है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर किसी भी खसरे के रकबे में कोई परिवर्तन नही होगा। अतः ग्राम सुरसागर के खसरा संख्या 636/627 रकबा 3.8283 हैक्टेयर, खसरा संख्या 734/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 733/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा ग्राम सुरसागर के खसरा संख्या 636/627 रकबा 3.8283 हैक्टेयर, खसरा संख्या 734/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 733/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा ट्रेस में की गई वर्तमान अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसागर के खसरा संख्या 636/627 रकबा 3.8283 हैक्टेयर, खसरा संख्या 734/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 733/627 रकबा 2.8975 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 10/05/23 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर